प्रेषक,

सं0 एस0पी0 2077/42-38/एसपी/60/84

श्री राजकुमार भार्गव,
सचिव,
उत्तर प्रदे श शासन ।

से वा मे ,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

खेलकूद विभाग । लखनऊ दिनाँक 12 सितम्बर,84

विषय:- उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों पर"जिला प्रोत्साहन समिति" के गठन और कार्यान्वयन के संबंध मे ।

=-=-=-=-=

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने खे लकूद के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक" जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति" गठित किये जाने का निर्णय लिया है । इस समिति द्वारा जनपदो के खिलाड़ियों / क्रीड़ा क्लबों को आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान की जायेगी खेल के विकास के लिए क्रीड़ांगन / टूर्नामेंट हाल/ तरणताल का निर्माण कराया जायेगा । और खे लकूद प्रतियोगितायें भी आयोजित कराई जायेगी ।

2- आपको जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के गठन से संबंधित नियमावली की एक प्रति इस आशय से भेजी जा रही है कि आप इस नियमावली मे निहित प्राविधानानुसार जिला मुख्यालय पर उक्त समिति का तत्काल गठन करायें और गठित समिति को रजिस्ट्रार सोसाइटीज से पंजीकृत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे । संलग्न नियमावली में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले पदाधिकारी की सूचना आपको अलग से यथाशीघ्र भेजी जायेगी । परन्तु इसमें समय लगने की संभावना है अनुरो ध है कि आप पंजीकरण इत्यादि अविलम्ब करालें ताकि आगामी खेलकूद का उपयो ग प्रतियोगितायें आदि आयोजित कराने में संभव हो ।

भवदीय

राजकुमार भार्गव
सचिव ।

संख्या-एस पी 2077/42-38/एसपी/60/84-तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त मंडलों के आयुक्त,उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त जिला व सेशन जज,उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त कार्यालयों के प्रमुख,उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक,खेलकूद,उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से

(पंकज कुमार)
संयुक्त सचिव ।

जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली, जिला पिथौरागढ़।

संक्षिप्त नाम 1– संक्षिप्त नाम :– यह नियमावली जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली पिथौरागढ़ कही जायेगी।

परिभाषायें 2– परिभाषायें :– इस नियमावली में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) अध्यक्ष का तात्पर्य प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष से है।

(ख) प्रबन्ध समिति का तात्पर्य समिति की प्रबन्ध समिति से है।

(ग) राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से हैं।

सदस्यता 3– सदस्यता :– समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(1) जिले का जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष और पदेन सदस्य होगा।

(2) जिला खेलकूद अधिकारी/जिला प्रशासन में प्रभारी खेलकूद अधिकारी पदेन सचिव एवं कोषाध्यक्ष और पदेन सदस्य होगा।

(3) उत्तर प्रदेश विधान सभा का एक स्थानीय सदस्य जिले राज्य सरकार खेलकूद विभाग द्वारा पदेन सदस्य के रुप में नाम निदिष्ट किया जायेगा।

(4) जिले के दो प्रमुख खिलाड़ी जिन्हें जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) जिले के दो खेलकूद संयोजक जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सदस्य के नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) ऐसे अन्य सदस्य जिनकी सदस्यता प्रबन्ध सगिति द्वारा समय समय पर अनुमोदित किया जाय।

सदस्यता फीस 4– सदस्यता फीसः–पदेन सदस्य से भिन्न अन्य प्रत्येक सदस्य समिति को प्रति कलैण्डर वर्ष एक रूपये का नाम मात्र कर चंदा देंगे।

सदस्यता की समाप्ति 5 – सदस्यता की समाप्तिः– पदेन सदस्य से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगीः–

(1) उसके द्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष को त्याग पत्र देने की लिखित सूचना भेजकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देने पर।

(2) लगातार दो वर्ष तक वार्षिक चंदे का भुगतान करने में उसके द्वारा चूक किये जाने पर और इस प्रकार चूक करने के लिये प्रबंध समिति द्वारा उसकी सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय लेने पर

(3) सदस्य की मृत्यु होने पर।

(4) प्रबंन्ध समिति द्वारा किसी सदस्य को उसके समिति के हितों के विपरीत कार्य करने के लिये निष्कासित करने पर।

सदस्यता का कार्यकाल 6– सदस्यता का कार्यकालः–

(1) समिति या प्रबंध समिति के सदस्य जो पदेन सदस्य से भिन्न हो दो वर्ष की अवधि के लिए पद घृत करने और दो वर्ष की अवधि के लिए पुनः नाम निर्दिष्ट किये जाने के पात्र होंगे।

(2) वहां समिति या प्रबंध समिति का कोई सदस्य उसके द्वारा घृत पद के आधार पर सदस्य हो, वहां उसकी सदस्यता उस पद पर न रहने पर समाप्त हो जायेगी और उस पद पर उसका उत्तराधिकारी ऐसा सदस्य हो जायेगा। नियम 303 के अधीन किसी सदस्य की स्थिति में सम्बद्व व्यक्ति की सदस्यता विधानसभा का सदस्य न रहने पर समाप्त हो जायेगी और राज्य सरकार के खेलकूद विभाग द्वारा नया नाम निर्देशन किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार आदेश द्वारा समिति या प्रबंध समिति के किसी ऐसे सदस्य के स्थान पर जो उसके द्वारा घृत पद के आधार पर सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति के रख सकती है जो तत्समय या तो उसके समकक्ष या उससे उच्च या निम्न कोटि का पद घृत कर रहा हो और इस प्रकार प्रतिस्थापित किये जाने पर प्रतिस्थापित सदस्य अवमुक्त सदस्य का स्थान ग्रहण करेगा।

सम्पत्ति का प्रबन्ध 7– सम्पत्ति का प्रबन्धः– समिति की आय और सम्पत्ति दोनों लंगम और स्थावर और उसके कार्यकलाप का अधीक्षण नियंत्रण और प्रबन्धन प्रबन्ध समिति में निहित होगा जो समिति के उद्देश्यों को